सं. 17-1/17/एनसीएससी/2011-सी.सैल
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों/सदस्यों, एनजीओ और सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए कार्यरत सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों/एनजीओ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेवा एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी । इसका उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों और सरकार इन जातियों की बेहतरी के लिए और क्या कर सकती है इस बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना था । बैठक का शुभारंभ श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने की । डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुख्य संबोधन किया । डॉ. राज कुमार वेरका, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री राजू परमार, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री एम. शिवाना, माननीय सदस्य, श्री एम. शिवाना, और श्रीमती लता प्रिया कुमार, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी बैठक की शोभा बढ़ाई । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर है ।

2. माननीय केन्द्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित किए जाने के उपरान्त बैठक का प्रारंभ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्वागत भाषण से हुआ । डॉ. वेरका ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास का कोई मायना नहीं रह जाता है जब समाज का एक विशेष वर्ग जैसे कि पददलित सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा से विमुख है । स्थिति चिन्तनीय हो जाती है जब हम पददलितों के लिए समान अवसरों के अभाव में अपने देश के सम्पूर्ण विकास को मापते हैं । आजादी के 64 वर्षों के बाद भी देश में अनुसूचित जाति के लोगों को कई जगह मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है । छुआछूत की सामाजिक बुराई को समाप्त करने में संकल्पवाद सहित विभिन्न उपायों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ।

3. अपने उद्घाटन संबोधन में, माननीय केन्द्रीय मंत्री ने अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए पहलात्मक कदमों के बारे में बताया । उन्होंने ऐसे क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जहां अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों ही स्तरों पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संशोधन की तरह बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ।

4. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने मुख्य भाषा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया:

4.1. उन्होंने अनुसूचित जाति के पूर्ण विकास की आवश्यकता पर बल दिया और आग्रह किया कि आरक्षण इत्यादि पर अंतर सामुदायिक प्रतिद्वंद्विता के तत्काल समाधान का पता लगाया जाए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध विभिन्न सरकारी विभागों में एक-

दूसरे के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमेबाजी चल रही हैं जिनमें सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है । इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है ।

4.2 संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत प्रावधान, सिविल अधिकार संरक्षा अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा हाथ से सफाई करने वालों को रोज़गार एवं सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के बावजूद छुआछूत आज भी वास्तविकता बनी हुई है । इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए । कई राज्यों में हाथ से सफाई करने की परम्परा खुल्लम-खुल्ला या गुप्त रूप से आज भी कायम है । इसे तत्काल समाप्त किया जाए ।

4.3 प्रवासी अनुसूचित जाति को उस राज्य में लाभ नहीं दिया जाता है जहां उन्होंने प्रवास किया है, कारण यह है कि जाति विशेष का नाम उस राज्य विशेष में वैध "अनुसूची" में सूचीबद्ध नहीं है । मूल राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों को ऐसे राज्यों में वैध प्रमाण-पत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां अनुसूचित जाति प्रवासित हुई है ।

4.4 विशेष घटक उप-योजना का नाम विशेष घटक योजना के मूल नाम के रूप में बहाल किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

एससीपी के लिए संसदीय अधिनियम के माध्यम से मिशन मोड पर मग्रेगा के अनुरूप संसद की स्वीकृति वर्तमान प्रणाली का विकल्प हो सकती है । कार्यान्वयन या प्रवर्तन के सभी प्रभारी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति की ओर ध्यान दिए बिना) को असफलता और दोषों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए । सरकारी आदेश का पालन न करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

सांविधिक राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों का एक वर्ष के भीतर गठन। आवश्यकता आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एससीपी निधियों की एकल विंडो प्रणाली सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होना चाहिए । एससीपी निधियों को योजना अभिमुख लाभार्थियों, अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण हेतु भूमि की खरीद, शिक्षा, आवास एवं स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, कोचिंग केन्द्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एनएससीडीए के माध्यम से तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा सेवा सुरक्षण कौशल विकास पर खर्च की जानी चाहिए ।

4.5 आवासीय छात्रावास और विद्यालय खोले जाने चाहिए जिनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो । 14-18 वर्षों तथा 18-20 वर्ष की आयु वर्गों में सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में समग्र नामांकन अनुपात निम्नतर था । उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर में सम्पूर्ण दर की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है ।

4.6 अनुच्छेद 330, लोक सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है ।

4.7 हाथ से सफाई करना, मैला ढोना, मृत जानवरों को हटाना, चमड़े का काम, ढोल बजाने के रूप में गंदे व्यवसाय की प्रथा प्रचलित है ।

4.8 अनुसूचित जाति महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से सोचनीय है । अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता निम्न है । वे कठिन मजदूरी करती हैं तथा कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं जिससे वे प्रमुख कार्य बल होती हैं । बाह्य कार्य के लिए घर से बाहर जाना तथा नियोक्ता के साथ बात-चीत करने से उनके साथ यौन शोषण से सुरक्षित नहीं रह पाती हैं । उदाहरणार्थ, 15 अनुसूचित जाति समुदाय जिनमें मुशर, भूईया, डोम, धांगद, चमार, मोची इत्यादि जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 1 लाख है उनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में 20 प्रतिशत या उससे कम है ।

4.9 कृषि संबंधी जनगणना, 2007 के अनुसार, अनुसूचित जाति द्वारा जोत भूमि का हिस्सा उनके 20 प्रतिशत का कुल जोत भूमि 12.7 प्रतिशत का था । अनुसूचित जाति द्वारा प्रति जोतभूमि औसत क्षेत्र सभी सामाजिक वर्गों के लिए 1.4 हेक्टेयर की तुलना में केवल 0.91 हेक्टेयर ही था । अनुसूचित जाति अधिकांशत: कृषि मजदूर के रूप में हैं । कृषि मजदूरी के लिए ऊंची जाति के जमींदारों पर उनकी निर्भरता तथा चिरकाल तक अधीनता उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में जीने को बाध्य करती है । शौचालय और बिजली सुविधाएं निम्नतम थी क्योंकि 36.80 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो ग्रामों में रहती है वह गरीबी रेखा से नीचे रह रही है (अन्य 28.30 प्रतिशत) ।

4.10. सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति के परिवारों में एनेमिक महिलाओं और बच्चों की उच्चतर प्रतिशतता तथा उच्चतर पौषणिकता का अभाव तथा अनुसूचित जाति की निम्नतर स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है ।

4.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आय की अधिकतम सीमा नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं है । इसलिए अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय मानदंड/सीमाओं को हटाया जाना आवश्यक है ।

4.12 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सेवाओं की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए मुख्यालय में एक शिकायत निगरानी सूचना प्रणाली लाई जाएगी । माननीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका में आरक्षण देने पर बल दिया । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यभार के अनुकूल कार्मिकों की संख्या बढ़ाने और सभी रिक्त पदों को भरकर ही आयोग के कार्यकरण को सुदृढ़ किया जा सकता है । जिन राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या व्यापक रूप से अधिक है उनमें 8 नये राज्य कार्यालय खोलना तथा मौजूदा 4 राज्य कार्यालयों का उन्नयन भी इसके लिए आवश्यक है ।

4.13.1 माननीय अध्यक्ष ने विस्तारपूर्वक कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए उपाध्यक्ष, सदस्यों और सिविल सोसायटी के अग्रगण्य व्यक्तियों की अध्यक्षता में निम्नलिखित 16 समितियों का गठन

किया है:-

(i) अनुसूचित जाति पर अत्याचार संबंधी समिति ।

(ii) एससीपी और एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावी उपयोगिता संबंधी समिति ।

(iii) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संबंधी समिति ।

(iv) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को पट्टा/भूमि आबंटन संबंधी समिति ।

(v) न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति ।

(vi) रोज़गार और आरक्षण संबंधी समिति ।

(vii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति ।

(viii) सफाईकर्ता समुदाय की दशा में सुधार । हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना ।

(ix) छात्रवृत्ति/भुगतान/शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा ।

(x) अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए नवीकरण/नई योजनाएं ।

(xi) अनुसूचित जाति के अधिकारों/सुरक्षणों/योजनाओं की जागरुकता हेतु अभियान ।

(xii) अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए सुरक्षणों की समीक्षा ।

(xiii) अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति से संबंधित समस्याओं की समीक्षा ।

(xiv) अनुसूचित जाति की सूची में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को शामिल करने के मुद्दे पर अध्ययन ।

(xv) निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी समिति ।

4.13.2 अब तक निम्नलिखित समितियों ने रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:-

(i) पदोन्नति में आरक्षण

(ii) न्यायपालिका में आरक्षण ।

(iii) हाथ से सफाई करने वालों, सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण ।

(iv) प्रवासी अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करना ।

5. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अत्याचार और सेवा सुरक्षण से संबंधित मामलों पर तथा संयुक्त सचिव ने अनुसूचित जाति के आर्थिक और विकास पर प्रस्तुतीकरण किया ।

(प्रस्तुतीकरण अनुबंध-2 और 3 पर है)

5.1 विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित मुद्दों को भी शामिल किया गया ।

5.1.1 सेवा सुरक्षणों पर:

(i) निजी क्षेत्रों में आरक्षण को सरकार द्वारा आरंभ करना चाहिए ।

(ii) कम्पनी बोर्डों में अनुसूचित जाति सदस्यों को शामिल किया जाना ।

(iii) राज्य और केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्रों इत्यादि में अनुसूचित जाति एसोसिएशनों को सामान्य यूनियनों के समकक्ष मान्यता ।

(iv) पदों को समाप्त करने के लिए पद आधारित रोस्टर प्रणाली पर विचार करना चाहिए तथा रिक्ति आधारित रोस्टर को पुन: लागू किया जाना चाहिए ।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों के स्थान पर एकल अखिल भारतीय जाति प्रमाण-पत्र प्रणाली लागू की जानी चाहिए ।

(vi) झूठे जाति प्रमाण-पत्र के धारकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5.1.2. आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर:

(i) राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए पृथक बजट तैयार करना चाहिए । राज्यों में अनुसूचित जाति निधि का दुरुपयोग या अनुसूचित जाति निधि को अन्य कार्यों पर खर्च करने पर रोक लगानी होगी ।

(ii) सरकारी भूमि की पहचान करके उसे सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता से खेती के लिए अनुसूचित जाति में वितरित किया जाना चाहिए । अनुसूचित जाति को भूमि हकदारी का कार्य त्वरित गति से किया जाना चाहिए ।

(iii) सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श अनुसूचित जाति गांव उपयुक्त होने चाहिए ।

(iv) निजी स्कूलों में आरक्षण होना चाहिए । स्कूलों को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए । अनुसूचित जाति को स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए । विद्यालयों/महाविद्यालयों और अस्पतालों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र में जाति का नाम का उल्लेख करने वाले कॉलम को हटा देना चाहिए।

(v) बेरोज़गार अनुसूचित जाति को प्रति माह कम से कम 3000.00 रुपए बेरोज़गार भत्ते के रूप में दिए जाने चाहिए ।

(vi) सभी सहायता अनुदान योजनाओं का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए ।

5.1.3. **सिविल अधिकारों के संरक्षण तथा अत्याचार पर:**

(i) अधिकारी को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही करने पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधान के अन्तर्गत पदच्यूत किया जाना चाहिए ।

(ii) चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है अत: उसे हटाने पर विचार करना चाहिए ।

(iii) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने चाहिए और ऐसे न्यायालयों में अन्य मामलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

5.1.4. **अन्य सुझाव:**

(i) आयोग को दी गई न्यायिक शक्ति सहित इसे विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए ।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्टें नियमित रूप से संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए ।

5.1.5. **संयुक्त सचिव ने वर्ष 2011 की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला** (अनुबंध-4) ।

6. **निष्कर्ष:**

विचार-विमर्श को संक्षेप में दोहराते हुए, माननीय अध्यक्ष ने बैठक के दौरान आयोजित चर्चा पर अपना संतोष जाहिर किया और आशा की कि एनजीओ, सिविल सोसायटी के सदस्य और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशन अनुसूचित जाति के अधिकारों के सुरक्षणों पर अपने विचार/राय ई-मेल के माध्यम से भेजेंगे और यह क्रिया आने वाले दिनों में जारी रहेगी ।

सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

*****